AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट थाना सैंया जनपद आगरा।   दिनांक 17.07.2021

थाना सैंया पुलिस टीम द्वारा, थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव को जलाने वाली घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 15.07.2022 को वादी लाल सिंह द्वारा सूचना दी गयी कि प्रार्थी की पुत्री की शादी लगभग 11 वर्ष पूर्व नेपाल के साथ हुयी थी। मेरे दामाद नेपाल के पिता मवासी राम ने कुछ दिन पहले अपनी कुछ जमीन बेची थी, जिसका पैसा मवासी राम अपने दो लड़कों सोनू व रिंकू में बांट दिया परन्तु मेरे दामाद को उसके हिस्से का पैसा नहीं दिया। इस बात को लेकर इनके परिवार में काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। दिनांक 14.07.2022 की रात्रि मेरे दामाद के भाई सोनू ने फोन करके हमें सूचना दी कि आज हम लोगों ने नेपाल को मार दिया है, जिसे हम जलाने ले जा रहे हैं, तुम्हें आना हो तो आ जाओ। यह सूचना मिलने पर हमने इस सम्बन्ध में 112 पुलिस को सूचना दी एवं अपनी पुत्री व अन्य परिवारीजनों के साथ ग्राम नगला छाहरी पहुँचा तो उस समय गाँव के बाहर नेपाल की चिता जल रही थी। तब हमने पुलिस की मदद से चिता की आग को बुझाया तथा शव के बचे हुए अवशेष को अलग कराया। मेरे दामाद की हत्या उसके परिवारीजनों ने की है। इस सम्बन्ध में थाना सैंया पर मु0अ0सं0 202/22 धारा 147/302/201 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी खेरागढ़ के सफल पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 16.07.2022 को थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्तगण इस समय कहीं जाने की फिराक में तेहरा चौराहे पर खड़े हुए हैं, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

उपरोक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बताये स्थान पर पहुंचे, जहां एक बारगी दबिश देते हुए चारों ओर से घेरकर तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरणः–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम मवासीराम, सोनू व रिंकू बताया गया। हत्या का कारण पूछने पर मवासी राम द्वारा बताया गया कि मेरे तीन बेटे हैं, जिसमें नेपाल जो मेरा बड़ा बेटा था, अपनी स्त्री के साथ रहता था तथा मैं अपने बेटे रिंकू के साथ रहता था। नेपाल की शादी के लगभग 11 वर्ष हो गये थे किन्तु उसके कोई सन्तान नहीं थी। कुछ दिन पहले मैंने कुछ जमीन बेची थी और जमीन का रूपया मैंने अपने बेटे रिंकू व सोनू को

दिया था। मुझसे दोनों ने कहा था कि नेपाल के कोई सन्तान नहीं है इसको पैसे मत देना तो मैंने अपने दोनों बेटों की बात मानकर नेपाल को पैसे नहीं दिये। नेपाल मुझसे पैसों के बारे में कहा और भला बुरा कहा। हमने मिलकर उससे कहा कि पैसों की डिमाण्ड नहीं करे नही तो हम तुझे जान से मार देंगे। इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा होने लगा तो नेपाल की पत्नी अपने घर चली गयी। वो मुझसे बहुत बुरा भला बोलने लगा दोनों बेटों ने ऐसा कहने से मना किया फिर भी नहीं माना। गुस्सा आने पर मैंने दोनों बेटों के साथ मिलकर नेपाल को बहुत मारा पीटा और गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। हम उसके शव को गाँव के बाहर जला दिया।

अभियुक्तगण का नाम :–

01. मवासीराम पुत्र स्व0 रामसिंह नि0 नगला छाहरी थाना सैंया जनपद आगरा।
02. सोनू पुत्र मवासीराम नि0 नगला छाहरी थाना सैंया जनपद आगरा।
03. रिंकू पुत्र मवासीराम नि0 नगला छाहरी थाना सैंया जनपद आगरा।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 202/22 धारा 147/302/201 भादवि थाना सैंया जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. थानाध्यक्ष श्री योगेन्द्र पाल सिंह थाना सैंया जनपद आगरा।
02. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना सैंया जनपद आगरा।
03. उ0नि0 मोहित शर्मा थाना सैंया जनपद आगरा।
04. है0का0 संजीव कुमार थाना सैंया जनपद आगरा।
05. का0 अशवंत थाना सैंया जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।